न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बामनवास, जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारीः सुनील कुमार मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 64/2025 राजस्व प्रार्थना पत्र

1. रेवड्या पुत्र हरफूल,
2. उगन्ती देवी पत्नी हरिमोहन एवं
3. गोपाल पुत्र हरफूल,

सभी जाति मीना, निवासी नवाड़िया मीना, तहसील बरनाला, जिला सवाई माधोपुर प्रार्थीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बरनाला, अप्रार्थी

वकील प्रार्थी - श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः 08/07/25

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 651 रकवा 0.24 हेक्टेयर, 652 रकवा 0.02 हेक्टेयर, 653 रकवा 1.15 हेक्टेयर, 654 रकवा 0.03 हेक्टेयर, 682 रकवा 0.33 हेक्टेयर स्थित ग्राम नवाड़िया मीना, तहसील बरनाला हैं, जिसका प्रार्थीगण ही उपयोग व उपभोग कर सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे हैं । उक्त आराजी से प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध, ताल्लुक या वास्ता नहीं है । प्रार्थीगण को अपनी उक्त भूमि की डौल मेड के सम्बन्ध में पड़ौसी खातेदारों से आये दिन विवादों का सामना करना पड़ता है तथा पड़ौसी खातेदार प्रार्थीगण की डौल मेड़ को ध्वस्त करके प्रार्थीगण की भूमि को दबाने की नीयत रखते हैं । आये दिन पड़ौसी खातेदारों से होने वाले विवादों के दृष्टिगत प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित अपनी आराजी का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं, जिससे कि प्रार्थीगण को अपनी ही भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े । अनावश्यक विवादों से बचने के लिए पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है । इस सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने दिनांक 11.6.2025 को तहसीलदार बरनाला से पत्थरगढ़ी कराने हेतु निवेदन किया, किन्तु उन्होंने श्रीमान् जी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर उचित आदेश लाने हेतु कहा है, इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी के न्यायालय में पेश किया जा रहा है । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी लैण्ड होल्डर, तहसीलदार बरनाला को आदेश दिया जावे कि वह टीम गठित कर आराजी हाल खसरा नम्बर 651 रकवा 0.24 हेक्टेयर, 652 रकवा 0.02 हेक्टेयर, 653 रकवा 1.15 हेक्टेयर, 654 रकवा 0.03 हेक्टेयर, 682 रकवा 0.33 हेक्टेयर स्थित ग्राम नवाड़िया मीना, तहसील बरनाला की पत्थरगढ़ी मय पुलिस जाप्ते के करवाने के लिए श्रीमान् तहसीलदार बरनाला को आदेश फरमाये जावें ।

उपखण्ड अधिकारी (राज.) बामनवास

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पंजीबद्ध किया गया, प्रार्थीगण की ओर से अपने खाते की नकल जमाबंदी एवं तहसीलदार बरनाला की ओर से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 ग्राम नवाड़िया मीना, पटवार मण्डल जीवद भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र बाटोदा, तहसील बरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 651 रकवा 0.24 हेक्टेयर, 652 रकवा 0.02 हेक्टेयर, 653 रकवा 1.15 हेक्टेयर, 654 रकवा 0.03 हेक्टेयर, 682 रकवा 0.33 हेक्टेयर स्थित ग्राम नवाड़िया मीना, तहसील बरनाला, स्थित भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थीगण अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने के अधिकारी हैं। हमारे द्वारा बहस वकील प्रार्थी की सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी भी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते हैं तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किए जाते हैं। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

//आदेश//

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 128 राजस्थान लैण्ड रैवन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम नवाड़िया मीना, पटवार मण्डल जीवद, भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र बाटौदा, तहसील बरनाला में स्थित आराजी हाल खसरा नम्बर 651 रकवा 0.24 हेक्टेयर, 652 रकवा 0.02 हेक्टेयर, 653 रकवा 1.15 हेक्टेयर, 654 रकवा 0.03 हेक्टेयर, 682 रकवा 0.33 हेक्टेयर स्थित ग्राम नवाड़िया मीना, तहसील बरनाला भूमि सीमा जानकारी के लिए पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किए जाने के लिए भू.अ.निरीक्षक, बिछोछ को 1000/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढ़ी करने के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत् कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है, उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। अतः भू.अ.निरीक्षक, बाटौदा, जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करें। पत्थरगढ़ी किए जाने के लिए तहसीलदार, बरनाला को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 08/07/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

08/07/25

उपखण्ड अधिकारी एवं कलक्टर बामनवास (स०मा०)

(सुनील कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास (जिला सवाई माधोपुर)

Scanned with CamScanner